

#1304

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - रुनावाली)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 1024

दापर दिनांक 9/10/25

निर्णय दिनांक 09/10/25



क्र.म.	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट		कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>रुनावाली</u>	<u>283</u>	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	वर्तमान प्रविष्टी -	शुद्ध प्रविष्टी
			स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	तहसिलीदार कपासन की अनुशंखा स्वीकार की जाकर राज.भू.स.अधि.1956 की धारा 136 के अधधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>रुनावाली</u> प.ह. <u>रुनावाली</u> खातासं. <u>283</u> में वर्तमान प्रविष्टी स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
	प्रतिनिधि पालनार्थ:-		हस्ताक्षर पटवारी <u>पटवारी</u>	हस्ताक्षर पिरकार <u>पिरकार</u>	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार <u>तहसीलदार</u>

1. पटवारी पटवार मण्डल रुनावाली जिल्ला चित्तौड़गढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें।

तहसीलदार कपासन

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन, चित्तौड़गढ़

तहसीलदार (पू.अ.)
तहसील कपासन जिला-चित्तौड़गढ़